उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्या:बारह/ए-चिकित्सा निर्देश-2011 दिनांक:अक्टूबर 8 2011

the start shows

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषन:-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 ।

चिकित्सा परिचर्या पर पूर्व निर्गत समस्त नियमों/शासनादेशों को अवकमित करते हुए अधिभूचना संख्या:2275/5-6-11-1082/87, दिनाक:20.09.2011 द्वारा "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा गरिपर्या) नियमावली-2011'' तात्कालिक प्रभाव से प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी में, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

इस विषय के निम्न बिन्दु उल्लेखनीय है:-

- (I) नियमावली के नियम-20 द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी की प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकार कार्यालयाध्यक्ष रू0 1.00 लाख तक, विभागाध्यक्ष रू0 2.50 लाख तक, सरकार का प्रशासकीय विभाग रू0 5.00 लाख तथा रू0 5.00 लाख से अधिक के दावे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग को प्रदान किये गये हैं।
 (1) नियमावली के नियम-20 द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी विभाग को प्रदान किये गये हैं।
- (2) नियमावली के परिशिष्ट-'क' में अंकित प्रोफार्मा में समस्त कर्मियों को 'हिल्य कार्ड'' प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उपलब्ध करप्रया जाना है, ताकि समस्त कर्मियों द्वारा राजकीय चिकित्सालय में मुफ्त चिकित्सा की सुविधा प्राप्त की जी सके। 'हिल्थ कार्ड'' में जहाँ फोटो चिपकानी है तथा कार्यालय की मोहर लगानी है वहाँ पर मोहर इस प्रकार लगाई जाए, कि मोहर का कुछ हिस्सा फोटो पर भी आए। 'हिल्थ कार्ड'' राजकीय मुद्रणालय से मुद्रित कराये जा रहे हैं, शीघ्र ही आपको उपलब्ध कराये जाएों। 'हिल्थ कार्ड'' के प्रथम पृथ्ठ पर कार्यालयाध्यक्ष के सूक्ष्म हस्ताक्षर कि सूक्ष्म हस्ताक्षर किये जाए तथा द्वितीय पृष्ठ पर यथा स्थान पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मोहर होगें। कार्ड का नमूना संलग्न है।
- (3) नियमावली के नियम-15 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत 75 प्रतिशत चिकित्सा अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जाये तथा नियमावली के परिशिष्ट-"घ" में अंकित प्रारूप के अनुसार अग्रिम का रजिस्टर तैयार कराकर प्रत्येक प्रविष्टियाँ अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये तथा प्रत्येक माह इसकी समीक्षा राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जाये।
- (4) नियमावली के नियम-7(क) में अन्तः चिकित्सा हेतु वेतनमान के अनुसार कर्मी को अनुमन्य वार्ड।
 - (5) नियम-16 में दावा प्रस्तुत करने की अवधि उपचार समाप्ति के 3 माह के अन्दर निर्धारित की गयी है।
 - (6) नियम-18 में दावे के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण।

(7) नियम-19 में दावे के तकनीकी परीक्षण हेतु विस्तृत विवरण अंकित किये गये है। <u>चिकित्सा दावों का</u> सक्षम अधिकारी से तकनीकी परीक्षण कार्यालयाध्यक्ष स्तर से कराया जाएगा। इससे समस्त कार्मियों को सम्मेलन में अवगत करा दिया जाए।

esh 12/4/8-10-2011

(8) प्राइवेट अथवा विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों में (प्रदेश के अन्दर व बाहर) उपचार की दशा में किसी प्रकार की अनियमितता न हो इसके लिए नियम 13 का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

नियमावली में निहित नियमों का अनुपालन करते हुए चिकित्सा अग्रिम उदारता पूर्वक स्वीकृत किये जायें। जिन प्रकरणों में जीवन रक्षा निधि से पूर्व में ही कोई अग्रिम स्वीकृत किया गया है तो स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम से प्रथमत: जीवन रक्षा निधि का समायोजन कर लिया जाए।

1- नियमावली में निहित निर्देशों/नियमों के अनुसार चिकित्सा दावों का निस्तारण शीघ्र करके चिकित्सा अग्रिंग का नियमानुसार समायोजन कर लिया जाये। चिकित्सा दावों का निस्तारण समय से सुनिश्चित कराना कार्य लयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा।

5- स्वीकृतकर्ता अधिकारी हेतु चेकलिस्ट:-

- अनिवार्यता प्रमाण-पत्र पर उपचार अवधि अंकित है अथवा नहीं?
- (11) क्या दावा कालबाधित है? यदि हां तो स्वीकृति हेतू भेजने का औचित्य/कारण?
- (III) समस्त बिल/वाउचर की मूल प्रति सम्बन्धित चिकित्सक से सत्यापित है अथवा नहीं?
- (IV) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में रोग का नाम, रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित है अथवा नहीं?
- (V) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में अंकित उपचार अवधि के अनुसार ही बिल/वाउचर संलग्न है अथवा नहीं?
- (VI) अनिवार्यता प्रमाण-पत्र उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है अथवा नहीं?
- (VII) प्रतिहस्ताक्षकर्ता अधिकारी द्वारा देय धनराशि अनिवार्यता प्रमाण-पत्र पर अंकित है अथवा नहीं? यदि हो तो कितनी?
- (VIII) लाभार्धी द्वारा कोई अग्रिम लिया गया है अथवा नहीं? यदि हॉ तो नियमानुसार समाय)जन की कार्यवाही की जाए।

(IX) पेंशनर के मामलें में सेवानिवृत्ती की तिथि, पी0पी0ओ0 नम्बर, कोषागार का नाम अंकित है अथवा नहीं?

6- यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियमावली के नियम-16 के अनुसार सेवानिबृत्त कर्मी अपने गृह जनपद अथवा जहाँ से पेंशन प्राप्त कर रहें हैं, वहाँ के कार्यालयाध्यक्ष को भी अपना तथा अपने आश्रितों का चिकित्सा दावा प्रस्तुत कर सकते है। अतएव यह कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व है कि वह उनका चिकित्सा द वा प्राप्त कर समय-सीमा (नियम-17 के अनुसार) के अन्तर्गत उनका निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

7- अतएव कृपया इस नियमावली का भली भाँति अध्ययन कर लें। नियमावली में निहित निर्वेशों/नियमों के अनुसार चिकित्सा दावों का निस्तारण सुनिष्टिवत कराचा कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

र लग्नकः (नियमावली हिन्दी व अंग्रेजी में 23 पृष्ठ)

Dinesh 12/A/8-10-2011

(सुलखान सिंह)

(पुराखान सह) अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्र	देश पु		ever	1110
	उत्तर प्र	देश सरकार		
		4-474	Star F	
	(भाग-2, नि	यम-6(क) देखें)	8 _1) ⁸	
आवेदक के परिवार का				
प्रमाणित फोटो			संख्या-	
	नाम:			***************
		6.5		
	जन्म का दिन	कि:	00000	
	Rin.			
कार्यालयाध्यक्ष की मु	57 WHI		 102160 E1	
(4		The star		
	विश्वाम का नाम	÷		
पदनामः-			······	
तैनाती का स्थान:				
तैनाती का स्थान: आवासीय पता:				
तैनाती का स्थान:				
तैनाती का स्थान: आवासीय पता:				······································
तैनाती का स्थान: आवासीय पता:				

नामिनी का नाम:-....


आश्रित पारिवारिक सदस्यो का विवरण:-

कमांक	- नाम	जन्म का दिनांक	आवेदक से सम्बन्ध
1.			and the second
2.	and the second		to selling to
3.	- House and the second second		0 1
4.			
5.		•	
कुल संख्या			1. 12 . 1

दिनांक:....

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर, मुहर सहित।



8		
2	उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 20 सितम्बर, 2011	
्रिभाषाएँ	3-जब तक कि संदर्भ में, अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-	
	(क) "प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक" का तात्पर्य किसी सरकारी चिकित्सालय के ऐसे , चिकित्सा अधिकारियों या विशेषज्ञों से या संदर्भकर्ता संस्थाओं के ऐसे प्रवक्ताओं, उपाचार्यों, ! आचार्यों या अन्य विशेषज्ञों से हैं जो किसी लाभार्थी को चिकित्सा परिचर्या और उपचार उपलंब्ध कराने के लिए सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रतिनियुक्त हो,	5) 23 13
	(ख) "लामार्थी" का तात्पर्य सरकारी सेवक और उनके परिवार, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और उनके परिवार और मृत सरकारी सेवकों के मामले में उनके परिवार के ऐसे सदस्यों से है जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हों,	
	(ग) "परिषद" का तात्पर्य यथाविहित कृत्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा जिला, मण्डल और राज्य स्तर पर गठित चिकित्सा परिषद से है,	
	(घ) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, (चिकित्सा परिचर्या) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश से है,	÷.,
	(ङ) "महानिदेशक" का तात्पर्य महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तार प्रदेश से है,	
	(च) "परिवार का ताल्पर्य":-	di se
	(एक) सेवा के सदस्य का, यथास्थिति, पति या पत्नी, और	12 ¹¹ .
	(दो) माता-पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/ परिव्यक्त पुत्री, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यक्त बहनें, अवयस्क भाई, सौतेली माता,	
2 N N	(छ) "सरकार का तात्पर्य" उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,	
6 - 8 2	(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,	
	(झ) "सरकारी चिकित्सालय" का तात्पर्य या तो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार ढारा चलाये जा रहे, या किसी चिकित्सा महाविद्यांलय से सहबद्ध चिकित्सालय से है,	
	(ञ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य फाइनेन्शियल हैण्ड बुक में यथापरिभाषित ऐसे पूर्णकालिक सरकारी सेवकों, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य भी हैं, से है जिनका वेतन राज्य के राजस्व से वहन किया जाता है, किन्तु इसमें अंशकालिक कर्मचारी, मौसमी∕संविदागत कर्मकार या दैनिक मजदूरी पर लगे कर्मकार सम्मिलित नहीं हैं,	
	(ट) "चिकित्सालय" का तात्पर्य ऐलोपैथिक या होम्योपैथी चिकित्सालय या भारतीय	NOT THE REAL
	विकित्सा पद्धति की डिस्पेंसरी या स्वास्थ्य जांच और चिकित्सीय अन्वेषण हेतु प्रयोगशाला एवं केन्द्र से है,	
	(ठ) "चिकित्सा परिचर्या" का तात्पर्य रोग निवान और उपचार के प्रयोजनार्थ ऐसे चिकित्सीय परागर्श और परीक्षण एवं अन्वेषण की विधियों से है जो उपचारी चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझी जाएं,	ħ
	(ड) "चिकित्सा महाविद्यालय" का तात्पर्य, सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किसी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा महाविद्यालय से है,	
	(ह) "सेवानिवृत्त सरकारी सेवक" का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक से है जो सेवा से निवृत्त हो गया हो और सरकार से पेंशन आहरित कर रहा हो। तथापि, इसमें वे सरकारी सेवक सम्मिलित नहीं हैं जो राज्य सरकार की सेवा छोड़ने के पश्चात् किसी स्वशासी संस्था/उपक्रम/निगम आदि में आमेलित हो गये हों,	
	(ण) "संदर्भित करने वाली संस्था" का तात्पर्य सभी राजकीय चिकित्सालय महाविद्यालय, छत्रपंति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय(सी0एस0एम0एम0यू0), लखनऊ, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान(एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0), लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, आपीण आयुर्विज्ञान एवं	
	अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटाबा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वाराणसी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), जवाहर लाल नेहरू विकित्सा महाविद्यालय, (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय), अलीगढ़ और सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किसी अन्य संस्था से है,	2.281

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 20 सितम्बर, 2011

(त) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है,

(ध) "उपचारी चिकित्सक" का तात्पर्य आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति के यथाविहित अर्हतायुक्त चिकित्सक से है, जो लाभार्थी का वास्तव में उपचार करता है,

(द) "उपचार" का तार्त्पर्य सभी उपभोग्य कञ्च्यूमेबल एवं उपभोग पश्चात् त्याज्य डिस्पोजेबल, चिकित्सीय एवं शल्य सुविधाओं के उपयोग और परीक्षण की विधियों और निदान के प्रयोजनार्थ अन्वेषण से है और इसमें अंग प्रत्यारोपण, औषधियाँ, सेरा, वैक्सीन, अन्य थेराप्यूटिक सामग्रियों की आपूर्ति, विहित जीवन रक्षक प्रकियाएँ या चिकित्सालय में भर्ती होना और देखरेख भी सम्मिलित है।

भाग-2

सरकारी चिकित्सालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों / संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान / छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में उपचार

4-समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा मुहाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतया यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेन्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

5-किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से किसी संदर्भ की आवश्यकता न होगी।

6-(क) किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके ढारा परिशिष्ट-क में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयांध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत एवं संख्यांकित स्वास्थ्य-पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि फोटो और पत्र दोनों पर मुहर आंशिक रूप से लगी हो :

परन्तु, किसी पेंशनभोगी व्यक्ति के लिए उसका पद नाम, तैनाती का स्थान, मूल वेतन और वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अंतिम तैनाती के अनुसार हो, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(ख) स्वास्थ्य पत्र में अपेक्षित किसी विवरण का न होना उसे अविधिमान्य बना देगा। तथापि, यदि परिवार के किन्हीं सदस्यों के बारे में कोई विवरण छूटा हो तो केवल वही सदस्य अपात्र होंगे और वह पत्र शेष लाभार्थियों के लिए विधिमान्य होगा।

7-(क) किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में अंतरंग उपचार के मामले वास सुविधा में सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी:-

क्रमांक	मूल वेतन + ग्रेड वेतन	वार्ड जिनके लिये लाभार्थी हकदार होगा
1.	र्रे 190007- या अधिक	निजी या विशेष वार्ड
2.	₹13000/- से अधिक और ₹19000/- से कम	सशुल्क वार्ड
3	₹13000/- या कम	सामान्य वार्ड

परन्तु किसी पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन को हकदारी के अवधारण के लिए मूल वेतन माना जायेगा तथापि कोई पेंशनभोगी ऐसी सेवाओं से अनिम्नतर सेवाओं के लिए हकदार होगा जो कि वह अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पाता रहा है: निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं की हकदारी

संदर्भ अपेक्षित न होना

स्वास्थ्य पत्र के माध्यम से पहचान

3

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 20 सितम्बर, 2011

परन्तु अग्रतर यह भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदारी से बेहतर वास सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने की दशा में उसको अतिरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(ख) चिकित्सा अवधि में रोगी को आहर शुल्क अनुमन्य होगा किन्तु यह सम्बन्धित सरकारी चिकित्सालय में तत्समय प्रधोज्य शुल्क से अधिक नहीं होगा।

अन्य स्रोतों से औषधियों आदि की आपूर्ति 8-किसी लामार्थी के उपचार के लिए औषधियाँ, यथा सेरा, वैक्सीन, रक्त, अन्य थेराप्यूटिक सामग्रियों की आपूर्ति या चिकित्सीय. अन्वेषण यथा सोनोग्राफी, कम्प्यूटराइञ्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैनिंग, एन्डोस्कोपी, ऐन्चियोग्राफी, रेडियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल जाँच या कोई अन्य जाँच, जो आवश्यक समझी जाय, अन्य सरकारी या निजी स्रोतों से उपलब्ध कराई जायेगी, यदि उपचारी चिकित्सक द्वारा लिखित में यह प्रमाणित करते हुए कि ऐसी औषधियाँ या सुविधाएँ सरकारी चिकित्सक द्वारा लिखित में यह प्रमाणित करते हुए कि ऐसी औषधियाँ या सुविधाएँ सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसा अवधारित और विहित किया जाय। किसी मधुमेह रोगी के मामले में, जिसे एक दिन में एक से अधिक बार इन्सुलिन विहित किया गया हो, डायन्नॉसिस किट(निदान यंत्र) की लागत, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर अनुमन्य होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारके क्या उपेचारी चिकित्सक द्वारा ऐसी खर्चीली दवाइयाँ, जिनके लिए कम लागत की किन्तु समान धेराप्यूटिक महत्व की औषधियाँ उपलब्ध हों या ऐसी दवाइयाँ जो खाद्य वस्तुओं, टानिक, प्रसाधन के रूप में प्रयुक्त हों या एंटीसेप्टिक या निजी रक्त बैंक से रक्त के लिए सामान्य रूप से परामर्शित नहीं किया जायेगा।

कृत्रिम अंग

9-(क) उपचारी चिकित्सक की संस्तुति पर और चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन से, चाहे जिस भी पदनाम से वह जाना जाय, निम्नलिखित कृत्रिम अंग और साधित्र अनुमन्य किये जा सकते हैं:-

- 1. आर्थोपेडिक प्रोस्थीसिस हिप
- 2. प्रोस्थीसिस फार नी ज्वाइंट
- 3. सरवाइकल कालर्स
- 4. कार्डियॉक पेस मेकर
- 5. कार्डियॉक वाल्व
- आर्टिफिशियल वोकल बाक्स
- हियरिंग एड/कॉक्लियर इंग्प्लान्ट
- 8. इन्ट्राऑक्यूलर लेन्स रीइम्प्लान्ट
- 9. थेराप्यूटिक कान्टैक्ट लेन्स
- 10. कम्प्लीट आर्टिफिशियल डेन्चर (सम्पूर्ण कृत्रिम दंतावली)
- 11. स्पेक्टेकल्स(चश्में)(तीन वर्षों में एक बार से अनधिक)
- 12. निःशक्त के उपयोग के लिए कृत्रिक अंग को शामिल करते हुए साधित्र
- 13. सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य साधित्र।

(ख) उपर्युक्त कृत्रिम अंगों और साधित्रों की आपूर्ति विशिष्टियों या निर्माण, नाम इत्यादि
 3 करते हुएँ उपचारी विकित्सक की लिखित सलाह पर की जायेगी।

एस0जी0पी0जी0 आई0/सी0एस0 एम0एम0यू0 में उपचार 10-कोई लामार्थी मुगतान करने पर संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर ग है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में दावे के प्रस्तुतीकरण पर या प्रतिपूरणीय होगा।

390_RPH_Medical Reis sement Data 2 E Drive

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 20 सितम्बर, 2011

भाग-तीन

यात्रा पर आपातकालीन स्थिति में उपचार और विशिष्ट उपचार

11-किसी लामार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक∕आपात स्थिति में किसी निजी चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और राज्य से बाहर की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी। प्रतिबन्ध यह है कि:-

(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रमाणि "ी जाए।

(ख) रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारंभ होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय।

 (ग) आपात स्थिति में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाले व्यय की धनराशि भी प्रतिपूरणीय होगी।

12-कार्यालय कार्य से अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक सम्बन्धित राज्य के सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे और उस पर उपगत हुआ वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि चिकित्सा महाविद्यालयों, संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यह किल्ली की दरों पर होगी।

13-(क) जटिल और गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए, जिनके लिए सरकारी चिकित्सालय या संदर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, संदर्भित करने वाली संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा उपचार और चिकित्सा परिचर्या के लिए रोगी को ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था को जिसे राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो संदर्भित किया जा सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार संदर्भित किसी रोगी को ताल्फ़ालिक/आपात स्थिति के कारण संदर्भित से भिन्न किसी अन्य चिकित्सालय में उपचार कराना पड़ता है तो नियम 11(ग) लागू नहीं होगा।

(ख) ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था में उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या राज्य के भीतर उपचार के लिए संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की दरों या राज्य के बाहर हुए उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों तक, जो भी कम हो, सीमित होगी।

(ग) ऐसे उपचार या जाँच जिनके लिए संजय गाँधी स्नातकोत्तार आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सुविधा विद्यमान न हो, पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि उपचार देश के भीतर कराया गया हो।

14-सरकारी चिकित्सालय के बाहर होम्योपैथी, यूनानी या आयुर्वेद पद्धति या किसी अन्य विहित भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार की प्रतिपूर्ति उस रूप में की जायेगी जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय।

मान्यता प्राप्त मारतीय चिकित्सा पछतियों द्वारा उपचार

सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सा अग्रिम

15-(क) उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के दावे को स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, चिकित्सा अग्रिम प्राक्कलित धनराशि के प्रचक्षत्तर प्रतिशत तक अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।

भाग-चार

390 [RPB_Medical Reimbursement_ Data 2 E Drive

आपातकालीन उपचार

तात्कालिक/

5

निजी चिकित्सालय में विशिष्ट उपचार

यात्रा पर उपचार

(ख) अग्रिम के लिए आवेदन परिशिष्ट "ख" में दिये गये विहित प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ उपचारी चिकित्सक ढारा निर्गत तथा संस्था के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक/सरकार ढारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष ढारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रावकलन संलग्न किया जायेगा।

 (ग) कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा कि स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाय।

(घ) कर्मचारी समायोजन / प्रतिपूर्ति दावा इसके उपभोग किये जाने के तत्काल पश्चात्, किन्तु उपचार समाप्त हो जाने के तीन माह अपश्चात्, प्रस्तुत करेगा।

(ङ) किसी भी स्थिति में दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि पूर्ववर्ती अग्रिम समायोजित न कर लिया गया हो।

(च) प्रत्येक स्वीकर्ता प्राधिकारी परिशिष्ट "घ" में यथाविहित प्रारूप और रीति में एक रजिस्टर रखवायेगा।

(छ) आहरण एवं वितरण अधिकारी अग्रिम हेतु बिल (बीजक) पर प्रमाणक देगा कि स्वीकृत अग्रिम की ऐसे रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली गयी है।

(ज) यदि अग्रिम के समायोजन के लिए चार महीनों के भीतर दावा नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी के वेतन से मासिक किश्तों में काट ली जायेगी जो सकल वेतन के आधे से अधिक नहीं होगी।

(झ) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात् उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के मीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक व्याज भी आरोपित किया जायेगा जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के दिनांक से की जायेगी।

भाग-पाँच प्रतिपूर्ति

तीन महीनों के मीतर दावा 16-लाभार्थी द्वारा स्वीकर्ता प्राधिकारी को, यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार की समाप्ति के पश्चात् तीन माह से अपश्चात् परिशिष्ट "ग" में दिये गये विहित प्रारूप में प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

बीजक के साथ संदर्भ-पत्र, उपचार परामर्श पत्रक और उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित किये गये वाउचर और परिशिष्ट "ङ" में (बहिरंग उपचार) और परिशिष्ट "च" (अंतरंग उपचार) में अनिवार्यता प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में दावे को पुष्ट करने के लिए अन्य मूल दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते हैं। अपूर्ण दावों पर विचार नहीं किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यहं है कि किसी पेंशनमोगी का प्रतिपूर्ति दावा उस जिले के कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जहाँ से वह पेंशन आहरित कर रहा है। जहाँ ऐसा कोई कार्यालय न हो वहाँ सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट इस प्रयोजनार्ध कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष भी होगा।

ंतकनीकी परीक्षण प्राधिकारी 17-(क) स्वीकर्ता आधिकारी या पेशनभोगी के मामले में कार्यालयाध्यक्ष दावा प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से दस दिनों के भीतर तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा। सम्बन्धित प्राधिकारी, सम्यक् तकनीकी परीक्षण करने के पश्चात् वास्तविक प्रतिपूरणीय धनराशि इंगित करते हुए उस दावे को पन्द्रह दिनों के भीतर, यथास्थिति, स्वीकर्ता प्राधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर देगा।

(ख) जब तक कि कृतिपय आपत्तियाँ न उठायी गयी हों और संसूचित न की गयी हों, स्वीकर्ता प्राविकारी द्वारा तकनीकी पर्राक्षय रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से 01 माह के भीतर प्रतिपूर्ति आदेश जारी किया जायेगा और आहरण एवं वितरण अधिकारी अगले 15 दिनों के भीतर उसका वास्तविक भुगतान सुनिश्चित करेगा। पेंशनभोगी के मामले में, यदि कार्यालयाध्यक्ष स्वीकर्ता प्राविकारी न हो तो, वह तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रतिपूर्ति दावे को सात दिनों के भीतर खीकर्ता प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा जो भुगतान के लिए उपयुंवत समय-सारिणी का अनुसरण करेगा।

A A ABA men or Brak	द्वारा प्रतिपूर्ति की अनुमति तभा दो जीवभा जवान पारारण्य में से विचिन हस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत किया जाएः	तिपूर्ति के लिए निवार्य दस्तावेज
(क) जालाती	िकित्मक द्वारा विधिवत इस्ताक्षरित आर विभिन्तिलिय में जनाल	10 A
अधीक्षक, चाहे जिस "ा (ख) उपचारी	नाम से जाना जाय, द्वारा प्रतिहस्ताक्षारत आनवायता प्रमाणपत्र । विकित्सक द्वारा विधिवत् सत्यापित सभी बिलों, संदर्भ पत्र,	
प्रेस्किप्शन पर्चो, और व	उचरा का मूल प्रातया।	
(ग) सक्षम प्रा	धिकारी द्वारा तकनीकी परीक्षण की रिपोर्ट। रिस्थितियों में दावे को सिद्ध करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज भी	
(प) विशेष प	ारास्थातया म दाव का सिख करने के लिए कर है।	
मूल रूप में संलग्न किर	य जा समात है। 	
(ङ) अपूर्ण व	तवों पर विचार नहीं किया जायेगा।	तकनीकी परीक्षण
19-तकनीकी परीक्षण		के लिए सक्षम प्राधिकारी
		ANTIAN
दावे की धनराशि	सक्षम प्राधिकारी	- 92% - ⁴
(एक) ₹40000/- तक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय/ आयुर्वेदिक, यूनानी	
(da) (40000) 111	अर होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्साधिकारी/	
	अधीक्षक।	
(दो) ₹40001/- से अधिक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय का विकित्सा	
(d) <400017- (1 01149)	्याधियन् याच्या सिकित्मा अधीक्षक/मख्य चिकित्सा आधकारा/जिला	A.
	अधाक्षक/मुख्य विकित्साधिकारी या क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
Lans in the set of the	1 RETERIO	1311
(तीन) निजी चिकित्सालयों में	गंग्यां मंग्री के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के	. e ^{na} e
1 22	जानारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हो	39 ₂
विशिष्ट उपचार हेतु	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) में उपबाधत हो जी जुने की विधि मान्यता /अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी	а.,
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) में उपबाधत हो जरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी जरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी	
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) में उपबाधत हो जरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी जरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी	स्वीकर्ता प्राधि
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) में उपबाधत हो जरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:-	स्वीकर्ता प्राधि
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्यता∕अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- हो के लिए :-	स्वीकर्ता प्राधि
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धंनराशि	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- हो के लिए :- स्वीकर्ता प्राधिकारी	स्वीकर्ता प्राधि
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्यता∕अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- हो के लिए :-	स्वीकर्ता प्रापि
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धनराशि ₹100000/- तक	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- हो के लिए :- स्वीकर्ता प्राधिकारी	स्थीकर्त्ता प्रापि
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवव दावे की धनराशि ₹100000/- संक ₹100000/- से अधिक-	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा गरी दावे की विधि मान्यता∕अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- हो के लिए :- स्वीकर्ता प्राधिकारी कार्यालयाध्यक्ष	स्वीकर्ता प्रापि
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धनराशि ₹100000/- तक ₹100000/- तक	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा जरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- हों के लिए :- स्वीकर्ता प्राधिकारी कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष	स्वीकर्ता प्रापि
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति (क) सरकारी सेवव दावे की धनराशि ₹100000/- तक ₹100000/- से अधिक- ₹250000/- से अधिक -	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा गरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- हों के लिए :- स्वीकर्ता प्राधिकारी विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष सरकार का प्रशासकीय विभाग	स्वीकर्ता प्रापि
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवव दावे की धनराशि ₹100000/- तक ₹100000/- तक ₹250000/- तक	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- हो के लिए :- स्वीकर्ता प्राधिकारी कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष सरकार का प्रशासकीय विभाग निर्मतना पत्र स्वाप्स्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त	स्वीकर्ता प्राधि
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धनराशि ₹100000/- तक ₹100000/- तक ₹250000/- तक ₹500000/- तक ₹500000/- तक	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- हों के लिए :- <u>स्वीकर्ता प्राधिकारी</u> कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष सरकार का प्रशासकीय विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग।	स्थीकर्त्ता प्रापि
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धनराशि ₹100000/- तक ₹100000/- तक ₹250000/- तक ₹500000/- तक ₹500000/- तक	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- ते के लिए :- स्वीकर्ता प्राधिकारी कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष सरकार का प्रशासकीय विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग। सरकारी सेवकों के लिए:-	स्वीकर्ता प्रापि
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धनराशि ₹100000/- तक ₹100000/- तक ₹250000/- तक ₹500000/- तक ₹500000/- ते अधिक (ख) सेवानिवृत्त	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- ते के लिए :- स्वीकर्ता प्राधिकारी विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभाग की स्वकार का प्रशासकीय विभाग विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग। सरकारी सेवकों के लिए:- स्वीकर्ता प्राधिकारी.	
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धनराशि ₹100000/- तक ₹100000/- तक ₹250000/- तक ₹500000/- तक ₹500000/- ते अधिक (ख) सेवानिवृत्त दावे की धनराशि	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- ते के लिए :- स्वीकर्ता प्राधिकारी विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभाग की स्वकार का प्रशासकीय विभाग विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग। सरकारी सेवकों के लिए:- स्वीकर्ता प्राधिकारी.	
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धनराशि ₹100000/- तक ₹100000/- तक ₹250000/- तक ₹500000/- तक ₹500000/- ते अधिक (ख) सेवानिवृत्त	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- ते के लिए :- स्वीकर्ता प्राधिकारी विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभाग विभाग की स्रत्कार का प्रशासकीय विभाग विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग। सरकारी सेवकों के लिए:- स्वीकर्ता प्राधिकारी. सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पैशन	
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धनराशि ₹100000/- तक ₹100000/- तक ₹250000/- तक ₹500000/- तक ₹500000/- तक (ख) सेवानिवृत्त दावे की धनराशि ₹100000/- तक	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्पता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- ते के लिए :- <u>स्वीकर्ता प्राधिकारी</u> कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष सरकार का प्रशासकीय विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग। सरकारी सेवकों के लिए:- स्वीकर्ता प्राधिकारी सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पेशन आहरित करने वाले जनपद का कार्याल ग्रथ्यक्ष।	
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धनराशि ₹100000/- तक ₹100000/- तक ₹250000/- तक ₹500000/- तक ₹500000/- ते अधिक (ख) सेवानिवृत्त दावे की धनराशि	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्पता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- ते के लिए :- <u>स्वीकर्ता प्राधिकारी</u> कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष सरकार का प्रशासकीय विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग। सरकारी सेवकों के लिए:- स्वीकर्ता प्राधिकारी सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पेशन आहरित करने वाले जनपद का कार्याल ग्रथ्यक्ष।	
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धंनराशि ₹100000/- तंक ₹100000/- तंक ₹250000/- तंक ₹500000/- तंक ₹500000/- तंक ₹500000/- तंक ₹100000/- तंक ₹100000/- तंक ₹100000/- तंक	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हो। तरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- ते ले लिए :- स्वीकर्ता प्राधिकारी कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विकत्सा एवं स्वास्थ्य विभागाध्यक्ष सिलकार का प्रशासकीय विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग। सर्वाकर्ता प्राधिकारी संयकारी प्रविका के लिए:- स्वीकर्ता प्राधिकारी संसम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् प्रेशन आहरित करने वाले जनपद का कार्याल प्रथमा ह आहरित करने वाले जनपद को कार्याल स्विध्याद परिशन के परिधान आदिकारी की संस्तुति के परध्यात् प्रेशन	
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धनराशि ₹100000/- तक ₹100000/- तक ₹250000/- ते अधिक- ₹500000/- ते अधिक ₹500000/- ते अधिक (ख) सेवानिवृत्त दावे की धनराशि ₹100000/- ते अधिक	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्पता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेधूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- ते के लिए :- स्वीकर्ता प्राधिकारी कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष सरकार का प्रशासकीय विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग। सरकारी सेवकों के लिए:- स्वीकर्ता प्राधिकारी सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पैशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष ने माध्यम से कार्यालयाध्यक्ष ने संस्तुति के पश्चात् पैशन	
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धंनराशि ₹100000/- तंक ₹250000/- तंक ₹500000/- तंक ₹500000/- तंक ₹500000/- तंक ₹100000/- तंक ₹100000/- तंक ₹100000/- तंक	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- ते के लिए :- स्वीकर्ता प्राधिकारी विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष सरकार का प्रशासकीय विभाग विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग। सरकारी सेवकों के लिए:- स्वीकर्ता प्राधिकारी सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पेशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालगाध्यक्ष। कार्हारेत करने वाले जनपद के कार्यालगाध्यक्ष ने माध्यम से जिलाधिकारी।	
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धंनराशि ₹100000/- तंक ₹100000/- तंक ₹250000/- तंक ₹500000/- तंक ₹500000/- तंक ₹500000/- तंक ₹100000/- तंक ₹100000/- तंक ₹100000/- तंक	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हो। तरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग । सरकारी सेवकों के लिए:- स्वीकर्ता प्राधिकारी सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पैशन आहरित करने वाले जनपद का कार्याल ग्रध्यक्षा । सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पैशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष ने माध्यम से जिलाधिकारी। सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पैशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष हो माध्यम से जिलाधिकारी।	
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धंनराशि ₹100000/- तंक ₹250000/- तंक ₹500000/- तंक ₹500000/- तंक ₹500000/- तंक ₹100000/- तंक ₹100000/- तंक ₹100000/- तंक	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हा तरी दावे की विधि मान्पता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- ते के लिए :- <u>स्वीकर्ता प्राधिकारी</u> निम्नवत् होंगे:- ते के लिए :- <u>स्वीकर्ता प्राधिकारी</u> <u>विभागाध्यक्ष</u> <u>विभागाध्यक्ष</u> <u>विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग</u> सरकारी सेवकों के लिए:- <u>स्वीकर्ता प्राधिकारी</u> <u>सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पेंशन</u> आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष ने पश्चात् पेंशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष ने माध्यम से जिलाधिकारी। <u>सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पें</u> शन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष ते माध्यम से जिलाधिकारी।	
विशिष्ट उपचार हेतु (ख) सक्षम प्राधिव परीक्षण करेगा और प्रतिपूर्ति 20-उपचार हेतु प्रा (क) सरकारी सेवय दावे की धंनराशि ₹100000/- तंक ₹250000/- तंक ₹500000/- तंक ₹500000/- तंक ₹500000/- तंक ₹100000/- तंक ₹100000/- तंक ₹100000/- तंक	उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम 13(क) म उपबाधत हो। तरी दावे की विधि मान्यता/अनिवार्यता और अनुमन्यता का तकनीकी हेतु अनुमन्य धनराशि शब्दों और अंकों दोनों में संस्तुत करेगा। तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:- तेपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग । सरकारी सेवकों के लिए:- स्वीकर्ता प्राधिकारी सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पैशन आहरित करने वाले जनपद का कार्याल ग्रध्यक्षा । सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पैशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष ने माध्यम से जिलाधिकारी। सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पैशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष हो माध्यम से जिलाधिकारी।	

जगर अवश असाधारण गजट, 20 सितम्बर, 2011

व्यय का कोषागार 21-प्रतिपूर्ति की धनराशि उसी **"शीर्ष"** से आहरित की जायेगी जिससे सामान्यतया थेतन, "शीर्ष" भक्ते और पेंशन आदि आहरित किये जाते हैं।

भाग-छ:

यावा और सहचर

प्रकीर्ण

22-(क) यदि कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक किसी रोगी को उच्चतर/विशिष्ट उपचार के लिए, जिसके लिए जिला/राज्य में सुविधा उपलब्ध नहीं है, किसी चिकित्सालय को संदर्भित करता है तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की विशिष्ट लिखित सलाह पर ऐसा उपचार कराने के लिए यात्रा की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) बीमारी की गम्भीरता पर विचार करते हुए यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक लिखित में यह संस्तुति करता है कि रोगी को किसी परिचारक द्वारा अनुरक्षित किया जाना है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नाम स्रहित किसी परिचारक के लिए अनुमति दी जा सकती है जो सामान्यतः रोगी का सम्बन्धी होगा।

(ग) रोगी और परिचारक, यदि कोई हो, अपनी सरकारी यात्रा के हकदारी की सीमा तक अपने निवास से उपचार के स्थान तक निकटतम रेल मार्ग से जाने और वापस आने की ऐसी यात्रा हेतु यात्रा भल्ता पाने का हकदार होगा, किन्तु वायुयान द्वारा यात्रा करने पर कोई दैनिक भल्ता अनुमन्य नहीं होगा भले ही लाभार्थी उसके लिए हकदार है या था।

(घ) जटिल बीमारी की दशा में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की लिखित संस्तुति पर सरकार वायुयान द्वारा यात्रा की अनुमति दे सकती है।

23-सामान्यतया दावा तीन माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए अन्यथा विभागीय सचिव का अनुमोदन अनिवार्य होगा जो मामले के गुणदोष के आधार पर दावे की प्रतिपूर्ति का विनिश्चय करेगा।

अखिल भारतीय सेवा के सदस्य याहूय सेवा

24-यह नियमावली अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर उन मामलों में लागू होगी जहाँ अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 के प्रावधान इस नियमावली से निम्नतर हैं।

25-यदि कोई सरकारी सेवक वाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर सेवारत हो तो उसे इस नियमावली के अधीन अनुमन्य से निम्नतर चिकित्सा सुविधा नहीं प्राप्त होगी और चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार पर हुआ व्यय वाह्य नियोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा और पैतृक विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा।

26-समय-समय पर यथासंशोर्थित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1946 और इस संबंध में निर्गत किये गये सभी सरकारी आदेश निरसित हो जायेंगे। तथापि, प्रतिपूर्ति के लिए हकदारी उनसे कम नहीं होगी जो इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व अनुमन्य थी।

27-यदि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के उपबन्धों के प्रवर्तन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो इस नियमावली से असंगत न हों और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों।

28-(क) यदि इस नियमावली के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(ख) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि चिकित्सा परिवर्या की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम या उसके अधीन निर्गत आदेश से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक् कठिनाई उत्पन्न होती है, वहाँ वह, उस मामले में लागू नियम या आदेश में किसी बात के होते हुए भी उस नियम या आदेश की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए आदेश द्वारा वह अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है जैसा मामले के न्यायोचित और साम्यपूर्ण रीति से निस्तारण के लिए आवश्यक समझे।

> आज्ञा से, संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव।


समय-सीमा

निरसन और अपवाद

कठिनाई का निराकरण

निर्वचन और शिथिलीकरण

390_RPH_Medical Reimbursement Data 2 E Drive



10	उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 20 सितम्बर, 20	11
21 - 24 21	परिशिष्ट "ख"	
e	(भाग चार; नियम-15"ख" देखें)	
	उपचार हेतु अग्रिम के लिए आवेदन का प्रारूप	
· · · ·		
1. आवेदक का नाम-		× .
2. पदनाम-		
		5
3. तैनाती का स्थान-		
4. कार्यालयाध्यक्ष-		
5. मूल वेतन-	"荒"""	5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 स्वास्थ्य पत्रक संख्या- 		
7. रेग्गी का नाम-		
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		-
8. कर्मचारी से सम्बन्ध-		
9. बीमारी का नाम(जिससे पी	डित है)-	
10. व्यय की धनराशि (उपचारी चिकित्सक द्वारा		क्षरित ब्यय-अनमान संलग्न है)
	तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ता	क्षरित व्यय-अनुमान संलग्न है)
(उपचारी चिकित्सक द्वारा	तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ता	क्षरित व्यय-अनुमान संलग्न है)
(उपचारी चिकित्सक द्वारा 11. अपेक्षित अग्रिम की धनरा	तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ता	क्षरित व्यय-अनुमान संलग्न है)
(उपचारी चिकित्सक द्वारा	तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ता	क्षरित व्यय-अनुमान संलग्न है)
(उपचारी चिकित्सक द्वारा 11. अपेक्षित अग्रिम की धनरा	तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ता	
(उपचारी चिकित्सक द्वारा 11. अपेक्षित अग्रिम की धनरा	तैयार तथा विकित्सालय के अधीक्षक ढारा प्रतिहस्ता शि	क्षरित व्यय-अनुमान संलग्न है) (कर्मचारी के हस्ताक्षर)
(उपचारी चिकित्सक द्वारा 11. अपेक्षित अग्रिम की धनरा दिनांक:	तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ता शि नामः	
(उपचारी चिकित्सक द्वारा 11. अपेक्षित अग्रिम की धनरा दिनांक:	तैयार तथा विकित्सालय के अधीक्षक ढारा प्रतिहस्ता शि	
(उपचारी चिकित्सक द्वारा 11. अपेक्षित अग्रिम की धनरा दिनांक:	तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ता शि नामः	
(उपचारी चिकित्सक द्वारा 11. अपेक्षित अग्रिम की धनरा दिनांक:	तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ता शि नामः	
(उपचारी चिकित्सक द्वारा 11. अपेक्षित अग्रिम की धनरा दिनांक:	तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ता शि नामः	
(उपचारी चिकित्सक द्वारा 11. अपेक्षित अग्रिम की धनरा दिनांक:	तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ता शि नामः	
(उपचारी चिकित्सक द्वारा 11. अपेक्षित अग्रिम की धनरा दिनांक:	तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ता शि नामः	
(उपचारी चिकित्सक द्वारा 11. अपेक्षित अग्रिम की धनरा दिनांक:	तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ता शि नामः	
(उपचारी चिकित्सक द्वारा 11. अपेक्षित अग्रिम की धनरा दिनांक:	तैयार तथा चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ता शि नामः	

	1			- 100		and the second second			
			তল	र प्रदेश असाधा	रण गजर, 20	सितम्बर, 201	.1		11
				परि	रशिष्ट "ग"	o (cov mili		÷	
•7	58 V			(भाग-पाँच-नि	यम-16 तथा ।	18 देखें)			
	सेवा में,	-33		and the said		in vital			
		कार्यालयाध्यक्ष	का नाम,	· •	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		10	12 1	
	θ.			6 - E			2011		
				÷		Net of			
	तिषय: f	चेकित्सा ज	पचार पर वि	केये गये व्यय	की प्रतिपर्ति	1	- 9		
	1414.1	4147111 0		5 8	•				
	महोदय,								
	ier i i	34			्रोटे प्राप्तिता	चिक्र मटस्य(ना	a)		
63					100 T				
								त. चाम) भ	उपचार
	करवाया है	। मैं निम्नलि	खित दस्तावेजों	के साथ प्रतिपूर्ति	के लिए दावा प्र	पस्तुत कर रहा	SHE C	**	
88	4.4		् जाह (निकिला		राग रम्ताधरित	/प्रतिहस्ताक्षरित	। अनिवार्यता प्रमा	ाण-पत्र ।	
	201 CO 1000	 त्यः चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति । दय, मैं							
								(बिल), वाउच	(1)
	2.	उंपचारी चिवि	कत्सक द्वारा वि	धिवत् हस्ताक्षरित	एवं सत्यापित मु	्ल नकद पर्ची(वै	हैश मेमो), बीजक		α.
	2.	उंपचारी चिवि	कत्सक द्वारा वि		एवं सत्यापित मु	्ल नकद पर्ची(वै	हैश मेमो), बीजक		(1
	2.	उपचारी चिवि यह प्रमाणित	कत्सक द्वारा वि किया जाता है	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वै स्य मुझ पर पूर्ण	हेश मेमो), बीजक तया आश्रित है।		
*	2.	उंपचारी चिवि यह प्रमाणित में	कत्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर के प	ूल नकद पर्ची(^ह स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या	हेश मेमो), बीजक तया आश्रित है।	दिनांक	
	2.	उंपचारी चिवि यह प्रमाणित में	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ	हेश मेगो), बीजक तिया आश्रित है। क्षेप्रेम का समायो	दिनांक	
2 1 1 1 1 1 1 1 1	2.	उंपचारी चिवि यह प्रमाणित में	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ	हेश मेगो), बीजक तिया आश्रित है। क्षेप्रेम का समायो	दिनांक	
	2.	उंपचारी चिवि यह प्रमाणित में	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ	हेश मेगो), बीजक तिया आश्रित है। क्षेप्रेम का समायो	दिनांक	
	2.	उंपचारी चिवि यह प्रमाणित में	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ	हेश मेगो), बीजक तिया आश्रित है। क्षेप्रेम का समायो	दिनांक	
	2.	उपचारी चिरि यह प्रमाणित में मेरे दावे की	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ को की कृपा करें	हेश मेगो), बीजक तिया आश्रित है। क्षेप्रेम का समायो	दिनांक जन करने के	
	2.	उंपचारी चिवि यह प्रमाणित में	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ को की कृपा करें	हैश मेगो), बीजक तया आश्रित है। तथिम का समायो ।	दिनांक जन करने के	
	2.	उपचारी चिरि यह प्रमाणित में मेरे दावे की	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ को की कृपा करें	हेश मेगो), बीजक तया आश्रित है। नग्रिम का समायो । धिकारी∕कर्मचारी पदनामः	दिनाक जन करने के का नाम	
	2.	उपचारी चिरि यह प्रमाणित में मेरे दावे की	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ को की कृपा करें	हेश मेगो), बीजक तया आश्रित है। नग्रिम का समायो । धिकारी∕कर्मचारी पदनामः	दिनांक जन करने के	
	2.	उपचारी चिरि यह प्रमाणित में मेरे दावे की	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ को की कृपा करें	हेश मेगो), बीजक तया आश्रित है। नग्रिम का समायो । धिकारी∕कर्मचारी पदनामः	दिनाक जन करने के का नाम	
	2.	उपचारी चिरि यह प्रमाणित में मेरे दावे की	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ को की कृपा करें	हेश मेगो), बीजक तया आश्रित है। नग्रिम का समायो । धिकारी∕कर्मचारी पदनामः	दिनाक जन करने के का नाम	
	2.	उपचारी चिरि यह प्रमाणित में मेरे दावे की	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ को की कृपा करें	हेश मेगो), बीजक तया आश्रित है। नग्रिम का समायो । धिकारी∕कर्मचारी पदनामः	दिनाक जन करने के का नाम	
	2.	उपचारी चिरि यह प्रमाणित में मेरे दावे की	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ को की कृपा करें	हेश मेगो), बीजक तया आश्रित है। नग्रिम का समायो । धिकारी∕कर्मचारी पदनामः	दिनाक जन करने के का नाम	
	2.	उपचारी चिरि यह प्रमाणित में मेरे दावे की	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ को की कृपा करें	हेश मेगो), बीजक तया आश्रित है। नग्रिम का समायो । धिकारी∕कर्मचारी पदनामः	दिनाक जन करने के का नाम	
	2.	उपचारी चिरि यह प्रमाणित में मेरे दावे की	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ को की कृपा करें	हेश मेगो), बीजक तया आश्रित है। नग्रिम का समायो । धिकारी∕कर्मचारी पदनामः	दिनाक जन करने के का नाम	
	2.	उपचारी चिरि यह प्रमाणित में मेरे दावे की	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ को की कृपा करें	हेश मेगो), बीजक तया आश्रित है। नग्रिम का समायो । धिकारी∕कर्मचारी पदनामः	दिनाक जन करने के का नाम	
	2.	उपचारी चिरि यह प्रमाणित में मेरे दावे की	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ को की कृपा करें	हेश मेगो), बीजक तया आश्रित है। नग्रिम का समायो । धिकारी∕कर्मचारी पदनामः	दिनाक जन करने के का नाम	
	2.	उपचारी चिरि यह प्रमाणित में मेरे दावे की	फ़त्सक द्वारा वि किया जाता है रे उपचारार्थ द्वारा स्वीकृत	धिवत् हस्ताक्षरित कि उपर नामित रू0	एवं सत्यापित मु पारिवारिक सदर	्ल नकद पर्ची(वं स्य मुझ पर पूर्ण पत्र संख्या के उ को की कृपा करें	हैश मेगो), बीजक तया आश्रित है। नग्रिम का समायो । धिकारी∕कर्मचारी पदनामः	दिनाक जन करने के का नाम	

		E O	परि	शेष्ट 'घ'				
			[भाग-चार-नि	ोयम-15 (च)	देखें]	a ²⁰		
		चिकित	ता परिचारक	के लिए अग्रि	्र मों की पंजी			
	क्रम.स.	सरकारी सेवक का नाम और पदनाम		स्वीकृति के ानादेश का	स्वीकृत	अग्रिम के	प्रतिपूर्ति दावा में]
-	2			गापरा का गौर संख्या	अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक और वाउचर	प्रस्तुतीकरण की देय अवधि	
			9000 S			संख्या		
	1	2	1	3	4	5	6	<u> </u>
		* * *	300 ¹⁶ 0		- 1	1		ti ti
			1973 1970	. 2. 1			1	
9	1		ALL UND	1.1				
का दाव	कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष कें र्यालय में प्रतिपूर्ति वा की प्राप्ति का ास्तविक दिनांक	अग्रिम की प्रतिपूर्ति दावा वसूली के भुगतान के लिए क गई कार्यवाही का विवरण	स्वीकृति	तैं दावा की के आदेश की और दिनांक	प्रतिपूर्ति व स्वीकृत ध	नराशि यदि	गयोजन के लिए कोई हो, अग्रिम अवशेष धनराशि	
	7	8	1.1.1	9	10		11	
8				48 N				
								\$8.
	ट्रेजरी चालान व और दिनांक आ अवशेष धनराशि जमा की गयी थ यदि कोई हं	ग्रिम की संख्या अँ के लिए नराशि,	न की बिल गैर दिनांक	आहरण ए	हे पश्चात् खं वितरण के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति	r .	
	12	1	3	- 1	4	14		
					1. ²			
			18		15	016		